

नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP

नैपचारिक
रूप से
सामर्पित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०-हिन्नु, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक : 05/07/18

विषय- जमशेदपुर अ०क्षे०स० क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर पथ प्रकाश की व्यवस्था हेतु 3000 अतिरिक्त LED Light के अधिष्ठापन योजना के अन्तर्गत Central Control & Monitoring System के लिए आधारभूत संरचना एवं योजना पर्यवेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अंतर्गत TSP प्रक्षेत्र से जमशेदपुर अ०क्षे०स० को कुल रू० 6,61,269/- (छः लाख एकसठ हजार दो सौ उनहत्तर रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-2469 दिनांक-09.05.2018 एवं पत्रांक-3148 दिनांक-18.06.2018 द्वारा जमशेदपुर अ०क्षे०स० क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 3,000 अतिरिक्त LED Light के अधिष्ठापन हेतु कुल 2,25,84,819/-रू० लागत की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पारम्परिक स्ट्रीट लाईट के स्थान पर LED स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन हेतु व्यय राशि का वहन जमशेदपुर अ०क्षे०स० के द्वारा अपने आंतरिक आय स्रोत से किया जाएगा।

उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा Central Control & Monitoring System के लिए आधारभूत संरचना हेतु 2,58,000/-रू० एवं योजना पर्यवेक्षण शुल्क (GST सहित) के रूप में 4,03,269/-रू० का भुगतान क्रमशः M/s Energy Efficiency Services Ltd एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची को जमशेदपुर अ०क्षे०स० के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। योजना के पर्यवेक्षण लागत पर 18% की दर से 61,516/-रू० GST देय है।


2. उक्त क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद अंतर्गत TSP प्रक्षेत्र से जमशेदपुर अ०क्षे०स० को कुल रू० 6,61,269/- (छः लाख एकसठ हजार दो सौ उनहत्तर रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजना/ Urban Projects in Water Supply, Solid Waste Management, Sewerage & Drainage, Civic Infrastructure, Housing etc.- विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान-79-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड-485221780796940679 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

Jayleen

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी जमशेदपुर कोषागार से की जाएगी जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स० होंगे।
 5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व में उक्त योजना हेतु जमशेदपुर अ०क्षे०स० को कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है। अतः उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित प्रतिवेदन शुन्य है।
 6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
 7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०-2561 दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
 9. विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स० सुनिश्चित करेंगे कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं का अनुपालन करते हुए आहरित राशि को नगरपालिका की लेखा में सम्मिलित करने के पश्चात नियमानुसार व्यय किया जाए एवं किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाए।
 10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
 11. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
 12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।


विश्वासभाजन



(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/न०वि०/विविध (EESL)-111/2017 71

राँची, दिनांक- 05/07/18

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स०/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (प्रशासन) जुडको लिमिटेड, राँची/श्री कुणाल CMM को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के सचिव।